समक्ष राजस्व मंडल म०प्रदेश ग्वालियर खण्डपीठ रीवा जिला रीवा म०प्र०

पुनरीक्षण प्र० क्र०   /14

30
27.1.14

(22)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

श्री [illegible] एड द्वारा आज दिनांक 27.1.14 के प्रस्तुत कि गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

R-596-III/14

1- रामाश्रय पटेल तनय स्व० राधेलाल पटेल

2- शिवाश्रय पटेल तनय स्व० राधेलाल पटेल

दोनों निवासी ग्राम शिवपुर्वा तहसील गुढ जिला रीवा म०प्र०

===== पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1- धर्मेन्द्रमणि चतुर्वेदी पिता गजेन्द्रमणि निवासी ग्राम मुकुन्दवाह रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

2- रामलाल पटेल तनय स्व० श्री रामस्वरुप पटेल साकिन शिवपुर्वा तहसील गुढ जिला रीवा म०प्र०

==== गैरपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक

3- श्रीमती ललिता देवी पटेल पत्नी रामलाल पटेल निवासी ग्राम शिवपुर्वा 60/तह. गुढ जिला रीवा म.प्र.

क्रमांक 4617 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 2-2-16 को प्राप्त किया गया
आदेशानुसार संशोधन प्रविष्ट
3/2/16
रीडर सर्किट कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

द्वितीय पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के निगरानी प्रकरण क्रमांक 206/नि०/04-05 में पारित आदेश दिनांक 21/1/14 के विरुद्ध ।

===================================

द्वितीय पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा- 50(2) म०प्र० भू० रा० सं० 1959 ई०.

===================================

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं:-

ग्राम शिवपुर्वा तहसील हुजूर जिला-रीवा वर्तमान तहसीलदार गुढ जिला रीवा की भूमि नं० 451, 504, 452, 453, 455, 459, 450 का मा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 596–तीन/2014 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-01-17	आवेदकगण के अभिभाषक श्री अरूण कुमार साहू उपस्थित। अनावेदकगण के अभिभाषक श्री तुलसीदास मिश्रा उपस्थित। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 206/निग0/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 21.01.14 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये। आवेदकगण के अधिवक्ता ने अपने तर्क में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण अिकन परिस्थितियों में होगा। " जब आदेश अपील योग्य हो और अपील न की गई हो तब धारा 50 के अधीन स्वमेव पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता।" अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश की कंण्डिका 6 में यह अवधारित किया है कि वर्ष 1986 में राजस्व निरीक्षक को नामांतरण के अधिकार नहीं है। पूर्णतः गलत है– म0प्र0भू0रा0 संहिता की धारा 24 के पद 1 में प्रदत्त शक्तियों के	

तहत राज्य शासन म0प्र0 राजपत्र दिनांक 08.08.1975 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ–7–6–75 सात–सात दिनांक 28.07.1975 द्वारा राज्य शासन ने धारा 110 के तहत तहसीलदार को प्रदत्त शक्तियां समस्त राजस्व निरीक्षकों को केवल अविवादग्रस्त नामांतरण के मामलों को निपटाने के लिये प्रदान की गई है। नामांतरण पंजी क्रमांक 4 आदेश दिनांक 24.10.86 अविवादित था व वर्ष 1986 में राजस्व निरीक्षक को नामांतरण के अधिकार थे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की उपधारणा पूर्ण रूपेण विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि किसी भी आदेश या प्रविष्टि को शासन के हित में रखते हुये स्वप्रेरणा में लेकर विधिवत परीक्षण किया जा सकता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कहीं यह उल्लखित नहीं किया है कि संबंधित प्रकरण में शासन का क्या हित निहित है व विवाद शासन के अलावा अन्या व्यक्तियों के बीच है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित कर अपर कलेक्टर रीवा के आदेश की पुष्टि किया है, जो नियमों के विपरीत है। अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ प्रकरण में प्रस्तुत अधनीरस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के

अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त भूमि की नामांतरण पंजी क्र0 4 दिनांक 24.10.86 को रकबा 46.37 एकड़ का नामांतरण राजस्व निरीक्षक के द्वारा फर्जी कच्ची टीप के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जबकि 1986 में राजस्व निरीक्षक को नामांतरण के अधिकारी नहीं थे। पुनरीक्षणकर्ता/निगरानीकर्ता का गैर निगरानीकर्ता न तो रिश्तेदार था न ही कोई सगा संबंधी था, वह सजरा के अन्तर्गत भी नहीं आात है। रुपये एक सौ मात्र अधिक की बिक्री टीप रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इस प्रकार की भूमि को बिना पंजीकृत विक्रय के नामांतरण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को हीं है। कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह भी आदेश या प्रविष्टि को शासन हित का ध्ययान रखते हुये नियमों के परिप्रेक्ष्य में स्वप्रेरणा में लेकर विधिवत परीक्षण कर आदेश पारित कर सकता है । वह स्वप्रेरणा में लेकर कभी भी किसी समय किसी भी भूमि या नामांतरण का परीक्षण कर नियमानुसार आदेश पारित कर कार्यवाही कर सकता है और इसी आधार पर अपर कलेक्टर, रीवा द्वारा अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वप्रेरणा में लेकर स्वीकार किया है, जो की नियमानुसार और विधिनुकूल है। इसकी पुष्टि अपर आयुक्त रीवा ने अपने विस्तृत आदेश में पूर्ण विवेचना कर की है।

6/ अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.14 न्यायासंगत व विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है। फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जाती है। आवेदकगण अपने स्वत्व के विषय में सक्षम न्यायालय में

आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो। अभिलेख वापिस हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य